16

संख्याः– / II–2014–03(13)/2011

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2014

विषय : **राज्य सैक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–478/मुअवि/बजट/बी–1 सामान्य, दि0 05.02.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–20 के आयोजनागत पक्ष में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत बाढ़ सुरक्षा के 03 सं0 कार्यों हेतु संलग्नक–। पर अंकित विवरणानुसार ₹ 92.65 लाख (₹ बयानवे लाख पैंसठ हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उसी चालू व निर्माणाधीन योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किश्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) स्वीकृति धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉंट मुख्य अभियन्ता एवं उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(vi) जहॉं आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(vii) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्राविधान/परिव्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(viii) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारिततिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(ix) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः........2

(x) विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(xi) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं केन्द्र पोषित योजनाओं में भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xii) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(xiii) भविष्य में निर्माण कार्यों के प्रस्ताव करते समय उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रस्तर 182(VI) में दिये गये प्राविधान की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

(xiv) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय 01–बाढ़ नियंत्रण–103 सिविल निर्माण कार्य 03–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 334/XXVII(2)/2014, दि0– 31 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

संख्याः– 353 (1)/ II–2014–03(13)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
11. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः–353 / II–2014–03(13)/2011, दिनांक 3/3/14 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	योजना की लागत	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	जिला देहरादून के विकासनगर वि0ख0 के अन्तर्गत ग्राम जाटोंवाला की जल्दरा नाले से बाढ़ सुरक्षा की योजना।	30.10	24.10
2	जिला देहरादून के विकासनगर वि0ख0 के अन्तर्गत ग्राम सभावाला की शाकुम्बरी–द्वितीय नाले से बाढ़ सुरक्षा की योजना।	45.45	45.12
3	जिला देहरादून के विकासनगर वि0ख0 के अन्तर्गत ग्राम डांडा हसनपुर की मेहराव नाले से बाढ़ सुरक्षा की योजना।	24.15	23.43
	योगः–	99.70	92.65

(₹ बयानवे लाख पैंसठ हजार मात्र)

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।